855

[2019] 10 एस. सी. आर 855

/

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम.

सी. सी. एल. उत्पाद (भारत) लिमिटेड (2017 की सिविल अपील संख्या 7005) 22 जुलाई, 2019

/

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974-पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986-प्रत्यर्थी तत्काल कॉफी का निर्माण और बिक्री कर रहा था-अपीलार्थी को पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतें मिलीं-अपीलार्थी द्वारा एक कार्य बल समिति का गठन किया गया, जिसने प्रत्यर्थी को सुनने के बाद कुछ निर्देश जारी किए-इसके अलावा, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को निर्देशों में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए Rs.25 लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया-प्रत्यर्थी ने आवश्यक बैंक गारंटी प्रस्तुत की-इसके बाद, अपीलार्थी के बोर्ड के अधिकारियों ने उद्योग का निरीक्षण किया और कुछ उल्लंघनों का निरीक्षण किया-इसके अनुसार, बैंक गारंटी का आह्वान किया गया और बैंक गारंटी द्वारा कवर किए गए Rs.25 लाख की राशि का भुगतान अपीलार्थी को किया गया।यह निर्धारित करना बैंक के लिए नहीं था कि क्या बैंक गारंटी का आह्वान तब तक उचित था जब तक कि आह्वान बैंक गारंटी के संदर्भ में था-एक बार की गई मांग बैंक को बैंक गारंटी की शर्तों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बाध्य करेगी-तत्काल मामले में, बैंक ने अपने विधि ी दायित्वों को सही ढंग से समझा और अपीलकर्ता को राशि का भुगतान किया-इस प्रकार, बैंक गारंटी की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किए गए विधि के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इसके अलावा, रिकॉर्ड पर सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था और प्रतिवादी ने भी जवाब प्रस्तुत किया था-इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करने में गलती की, जैसा कि अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था।

/

/

/

/

/

/

855 ए.

856 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि कार्यबल समिति की बैठक में अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई थी और अधिकारियों ने कुछ उल्लंघनों को देखा था-इसलिए बैंक गारंटी का आह्वान बैंक गारंटी में निर्धारित शर्तों के संदर्भ में था।

प्रतिवादी ने **1995** में इंस्टेंट कॉफी के निर्माण और बिक्री के लिए अपना संचालन शुरू किया। अपीलार्थी द्वारा किए गए पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अपीलार्थी और जिला कलेक्टर को शिकायतें प्राप्त हुईं।अपीलार्थी द्वारा एक कार्यबल समिति का गठन किया गया था**,** जिसने प्रतिवादी को सुनने के बाद **12** अगस्त **2011** को उसे निर्देश जारी किए।इसके अलावा**,** अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को तीन बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया:शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **10** लाख रुपये की राशि में दो और **5** लाख रुपये की राशि में तीसरा।**6** सितंबर **2011** को**,** बैंक द्वारा निष्पादित तीन बैंक गारंटी अपीलार्थी को प्रस्तुत की गई थी। बोर्ड के अधिकारियों ने उद्योग का निरीक्षण किया और कुछ उल्लंघनों को देखा।इसके अनुसार**,** **12** सितंबर **2012** को बैंक गारंटी लागू की गई थी और तीन बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई **25** लाख रुपये की राशि का भुगतान अपीलार्थी को किया गया था।न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि आह्वान अनुचित था और अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई राशि प्रत्यर्थी को वापस कर दी जानी चाहिए।इसलिए**,** वर्तमान अपीलें।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया**:1.** इस न्यायालय के उदाहरणों से जो तय कानूनी स्थिति सामने आई है**,** वह यह है कि धोखाधड़ी**,** अपरिवर्तनीय अन्याय और विशेष इक्विटी के मामले के अभाव में**,** न्यायालय को बैंक गारंटी के आह्वान या भुनाने में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि आह्वान बैंक गारंटी के संदर्भ में था।**[**पैरा **19] [866-**ई**-**एफ**]**

/

2. वर्तमान मामले में**,** बैंक ने अपीलार्थी को वचन दिया कि वह मांग पर गारंटीकृत राशि का भुगतान करेगा**,** जो तीन बैंक गारंटी में से प्रत्येक में निर्धारित कुल राशि के अधीन होगी।यह

निर्धारित करना बैंक के लिए नहीं था कि क्या बैंक गारंटी का आह्वान तब तक उचित था जब तक कि आह्वान बैंक गारंटी के संदर्भ में था।एक बार ए की मांग

/

/

857

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम सी. सी. एल. उत्पाद (आई) लिमिटेड।

बैंक गारंटी की शर्तों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बैंक को बाध्य करेगा।बैंक ने अपने कानूनी दायित्वों को सही ढंग से समझा और अपीलार्थी को राशि का भुगतान किया।मामले के इस दृष्टिकोण में और बैंक गारंटी की शर्तों को ध्यान में रखते हुए**,** इस न्यायालय का विचार है कि न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किए गए विधि के सिद्धांत को सही विधि ी स्थिति को दर्शाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **20] [866-**एफ**-**एच**]**

/

3. इसके अलावा**,** यह न्यायालय न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ है कि प्रत्यर्थी को आह्वान पर अंधेरे में रखा गया था।यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी के आह्वान के बाद**,** प्रतिवादी ने स्वयं **20** सितंबर **2012** को अपीलार्थी के सदस्य सचिव को एक संचार संबोधित किया।संचार में बैंक गारंटी के आह्वान का एक विशिष्ट संदर्भ है।इसके अलावा**,** अभिलेख की सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया था**,** जिस पर प्रत्यर्थी ने एक जवाब भी प्रस्तुत किया था।बैंक गारंटी का उद्देश्य और उद्देश्य अपीलार्थी को विधि के अनुसार निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना था।अपीलार्थी ने **26** अगस्त **2011** को कार्यबल समिति द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों का निर्वहन करने में प्रतिवादी की विफलता के कारण प्रत्यर्थी द्वारा जारी बैंक गारंटी को लागू किया है।**[**पैरा **21] [867-**ए**-**सी**]**

/

/

/

4. उपरोक्त कारणों से**,** इस न्यायालय का विचार है कि न्यायाधिकरण ने बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करने और अपीलार्थी को तीन गारंटी द्वारा कवर की गई **25** लाख रुपये की राशि वापस करने का निर्देश देने में गलती की है।बैंक गारंटी का आह्वान करते समय**,** अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर जोर दिया है कि कार्यबल समिति की बैठक में अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई थी और अपीलार्थी के अधिकारियों ने उद्योग का

निरीक्षण किया था और कुछ उल्लंघनों को देखा था।इसलिए बैंक गारंटी का आह्वान बैंक गारंटी में निर्धारित शर्तों के संदर्भ में था।**[**पैरा **22] [867-**डी**-**जी**]**

/

/

अंसल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1996) 5 एस. सी. सी. 450:

[1996] 4 पूरक।एस. सी. आर. 226; भारतीय स्टेट बैंक बनाम मुला

/

858 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

/

सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड **(2006) 6** एस**.** सी**.** सी**. 293:[2006] 3** पूरक। एस**.** सी**.** आर**. 320;** हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी।

लिमिटेड वी.बिहार राज्य (1999) 8 एससीसी 436:[1999] 3 पूरक।एस. सी. आर. 554-निर्भर।

संदर्भित निर्णय

/

[1996] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 226** पैरा **18 [2006] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस**.** सी**.** आर**. 320** पैरा **18 [1999] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 554** पैरा **18** पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2017 की सिविल अपील संख्या 7005।

/

2013 (एस. जेड.) की अपील संख्या 63 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के दिनांकित निर्णय और आदेश से।टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, श्रीमती गायत्री गुलाटी श्रेयस और सुश्री स्नेह ढिल्लन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. रामकृष्ण प्रसाद, सुयोधन बैरपानेनी, सुश्री पिल्जा मूनिस, सुश्री प्रियंका एम. पी. और प्रतिभा सिंह खरोला, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. स्वीकार करें।

2. यह अपील 16 अगस्त 2016 को चेन्नई में अपनी दक्षिणी क्षेत्र पीठ में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 1 के एक निर्णय से उत्पन्न होती है।न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी की अपील को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया और कहा कि प्रतिवादी के कहने पर अपीलार्थी को दी गई बैंक गारंटी का आह्वान अनुचित था और यह राशि प्रतिवादी को वापस कर दी जानी चाहिए।

/

3. चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा अन्य प्रार्थनाओं के संदर्भ में राहत को अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए जो मुद्दा विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या न्यायाधिकरण अपीलार्थी को जारी की गई तीन बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करने और अपीलार्थी को उनके द्वारा कवर की गई राशि को प्रत्यर्थी को वापस करने का निर्देश देने में उचित था।

/

1 “न्यायाधिकरण "

/

859

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम.

सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (आई) लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

/

4. प्रतिवादी ने 1995 में इंस्टेंट कॉफी के निर्माण और बिक्री के लिए अपना संचालन शुरू किया।इसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत सहमति दी गई थी। 6 अगस्त 2008 को केंद्र सरकार ने कॉफी उद्योग के लिए निर्वहन मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन किया।5. अपीलार्थी द्वारा किए गए पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में अपीलार्थी और जिला कलेक्टर, गुंटूर द्वारा शिकायतें प्राप्त हुईं। अपीलार्थी द्वारा 2 अगस्त 2011 को प्रतिवादी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।अपीलार्थी द्वारा एक कार्यबल समिति का गठन किया गया था, जिसने प्रतिवादी को सुनने के बाद 12 अगस्त 2011 को उसे निर्देश जारी किए।कार्यबल समिति की सिफारिशों के आधार पर 26 अगस्त 2011 को प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थेः

/

/

“भाग ए

मौजूदा प्रणाली में सुधार

/

ए। उद्योग बोर्ड मानकों के अनुसार अपशिष्टों के उपचार के लिए ई. टी. पी. की दक्षता प्रस्तुत करेगा।

बी। उद्योग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए बॉयलरों में स्थापित मौजूदा ए. पी. सी. में सुधार करेगा।

भाग बी

/

क. मौजूदा प्रणालियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर प्रवाह मीटरों का निर्धारण

बी। उद्योग स्थापित सभी प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिए अलग-अलग ऊर्जा मीटर लगाएगा और हर महीने आरओ, गुंटूर को अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

/

भाग सी

ए। उद्योग बरसात के मौसम में अपशिष्टों के भंडारण के लिए उपचारित अपशिष्टों को केवल पंक्तिबद्ध लैगून में संग्रहीत करेगा।

बी। उद्योग शोधित अपशिष्टों का उपयोग उद्योग की अपनी भूमि में करेगा।

/

ग. उद्योग अलग-अलग तूफानी जल निकासी प्रदान करेगा ताकि रंगीन अपशिष्ट वर्षा के पानी के साथ न मिलें।

/

घ. उद्योग बिना रेखा वाले लैगून में संग्रहीत अपशिष्टों को खाली करेगा और लैगून को नष्ट कर दिया जाएगा।

ई. उद्योग किसी भी परिस्थिति अंतर्गत परिसर के बाहर किसी भी अपशिष्ट का निर्वहन नहीं करेगा।

च. उद्योग 30 दिनों के भीतर रंग हटाने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। "

/

6. इसके अलावा, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को तीन बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया:उत्तरदाता के कार्यकरण के संबंध में उपरोक्त भाग ए, भाग बी और भाग सी में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रुपये की राशि में दो और रुपये की राशि में तीसरा।

/

7. 6 सितंबर 2011 को, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निष्पादित तीन बैंक गारंटी अपीलार्थी को प्रस्तुत की गई थी।रुपये 5,00,000 की राशि में बैंक गारंटी लागू पर्यावरण मानकों के संदर्भ में प्रतिवादी की स्थापना और संचालन के लिए सहमति में निर्धारित शर्तों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए थी।बैंक गारंटी में 26 अगस्त 2011 को जारी किए गए निर्देशों के भाग सी को शामिल किया गया था जो गारंटी में अंतर्निहित थे।गारंटी में निम्नलिखित शर्तें थीं:

/

“मेसर्स सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रतिबद्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार।

/

उपरोक्त के अनुसरण में, हम मेसर्स सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रतिबद्धता में प्रदान किए गए विभिन्न नियमों और दायित्वों के पालन और प्रदर्शन की गारंटी देते हैं और मांग पर और कंपनी द्वारा उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में बोर्ड को अधिकतम राशि 5,00,000-(केवल पांच लाख रुपये) से अधिक के अधीन भुगतान करने का वचन देते हैं। "

/

प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि:“इसके बावजूद इसमें कुछ भी शामिल है:

/

क) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देनदारी रुपये से अधिक नहीं होगी। 5,00,000 -

ख) यह बैंक गारंटी 06.09.2013 तक वैध होगी।

ग) हम गारंटीकृत राशि के किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

/

इस बैंक गारंटी के अंतर्गत केवल और केवल तभी जब आप हमें 06.09.2013 पर या उससे पहले एक लिखित दावा या मांग करते हैं।

8. दूसरी बैंक गारंटी में उस शर्त के भाग बी को शामिल किया गया था जिसे कार्य बल समिति ने 26 अगस्त 2011 को प्रतिवादी को पूरा करने की आवश्यकता थी।बैंक गारंटी में निम्नलिखित शर्तें थीं:

/

“उपरोक्त के अनुसरण में, हम मेसर्स सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रतिबद्धता में प्रदान किए गए विभिन्न नियमों और दायित्वों के पालन और प्रदर्शन की गारंटी देते हैं और बोर्ड को अधिकतम रुपये से अधिक राशि के अधीन भुगतान करने का वचन देते हैं। 10,00,000-(केवल दस लाख रुपये) मांग पर और कंपनी द्वारा उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में।

/

गारंटी के अंतर्गत देयता रुपये तक सीमित है। 10,00,000-(केवल दस लाख रुपये)।हमारी गारंटी तब तक लागू रहेगी जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत दावे को लागू करने के लिए कोई मुकदमा या कार्रवाई समाप्ति की तारीख से पहले हमारे खिलाफ लिखित रूप में दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के अंतर्गत हमारे सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। "

/

इसके बावजूद इसमें कुछ भी शामिल है:

/

क) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देनदारी रुपये से अधिक नहीं होगी। 10,00,000 -

ख) यह बैंक गारंटी 06.09.2013 तक वैध होगी।

ग) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटीकृत राशि का किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और केवल तभी जब आप हमें 06.09.2013 पर या उससे पहले एक लिखित दावा या मांग करते हैं। "

/

9. ₹ 10,00,000 की राशि में तीसरी बैंक गारंटी में उन शर्तों के भाग ए को शामिल किया गया था जिन्हें कार्य बल समिति ने 26 अगस्त 2011 को प्रतिवादी को पूरा करने की आवश्यकता थी।

/

बैंक गारंटी में निम्नलिखित शर्तें थीं:

“उपरोक्त के अनुसरण में, हम मैसर्स सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, कंपनी द्वारा विभिन्न नियमों और दायित्वों के पालन और प्रदर्शन की गारंटी देते हैं जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है।

/

ऊपर की गई प्रतिबद्धता और बोर्ड को अधिकतम रुपये से अधिक की राशि के अधीन भुगतान करने का वचन। 10,00,000-(केवल दस लाख रुपये) मांग पर और कंपनी द्वारा उपरोक्त शर्तों/निर्देशों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में।

गारंटी के अंतर्गत हमारी देनदारी रुपये तक सीमित है। 10,00,000-(केवल दस लाख रुपये)।हमारी गारंटी तब तक लागू रहेगी जब तक कि इस गारंटी के अंतर्गत दावे को लागू करने के लिए कोई मुकदमा या कार्रवाई समाप्ति की तारीख से पहले हमारे खिलाफ लिखित रूप में दायर नहीं की जाती है, इस गारंटी के अंतर्गत हमारे सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें राहत दी जाएगी और सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

/

/

इसके बावजूद इसमें कुछ भी शामिल है:

क) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देनदारी रुपये से अधिक नहीं होगी। 10,00,000 -

ख) यह बैंक गारंटी 06.09.2013 तक वैध होगी।

/

ग) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटीकृत राशि का किसी भी हिस्से का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और केवल तभी जब आप हमें 06.09.2013 पर या उससे पहले एक लिखित दावा या मांग करते हैं। "

10. 12 सितंबर 2012 को, अपीलार्थी ने गुंटूर में क्षेत्रीय कार्यालय में अपने पर्यावरण इंजीनियर को एक संचार में दर्ज किया किः

/

“07.03.2012 पर आयोजित कार्यबल समिति की बैठक में अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई और उद्योग को निर्देश जारी किए गए।अनुपालन के लिए।

बोर्ड के अधिकारियों ने 21.07.2012 और 23.08.2012 पर उद्योग का निरीक्षण किया और कुछ उल्लंघनों को देखा।बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के साथ उद्योग के गैर-अनुपालन को देखते हुए, रुपये की बैंक गारंटी का आह्वान करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के पक्ष में 25 लाख।

/

ई. ई., आर. ओ., गुंटूर को रुपये की बैंक गारंटी लागू करने के लिए बैंक को संबोधित करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड के पक्ष में 25 लाख रुपये और सदस्य सचिव, ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद ए. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि प्राप्त करें।

/

/

तुरंत।डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद मूल बैंक गारंटी बैंक को वापस की जानी है। "

उपरोक्त संचार के अनुसरण में, 12 सितंबर 2012 को बैंक गारंटी का आह्वान किया गया था और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपीलार्थी को तीन बैंक गारंटी द्वारा कवर की गई रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

/

11. बैंक गारंटी का आह्वान करते हुए अपीलार्थी की कार्रवाइयों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण का रुख किया।

12. न्यायाधिकरण ने 16 अगस्त 2016 के अपने निर्णय में कहा कि बैंक गारंटी को लागू करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।ऐसा करने में विफल रहने के लिए अपीलार्थी में दोष पाते हुए, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि आह्वान अनुचित था और अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई राशि प्रत्यर्थी को वापस कर दी जानी चाहिए।

/

13. न्यायाधिकरण के विचार में, बैंक गारंटी का उद्देश्य "वाणिज्यिक, संविदात्मक या औद्योगिक" नहीं था क्योंकि गारंटी पर्यावरण मानदंडों के संबंध में अपीलार्थी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई थी जिनका प्रतिवादी द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।इसलिए, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बैंक गारंटी का आह्वान करने से पहले, अपीलकर्ता को नोटिस देना और प्रतिवादी को सुनवाई प्रस्तुत करना अनिवार्य था।

/

/

14. न्यायाधिकरण के निर्णय पर जोर देते हुए, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस ने आग्रह किया है कि सबसे पहले, न्यायाधिकरण ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को गारंटी का आह्वान करने की शर्त के रूप में लागू करने में गलती की।यह प्रस्तुत किया गया है कि यह तय कानूनी स्थिति के विपरीत है।दूसरा, यह आग्रह किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी को एक उचित अवसर प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता की ओर से उल्लंघन किया गया था, दस्तावेजी सामग्री द्वारा गलत है जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी किए गए थे और यह कि प्रतिवादी को वास्तव में कार्य बल समिति द्वारा सुना गया था।रिलायंस को कारण बताने के लिए नोटिस दिया गया था जो अपीलार्थी द्वारा 9 जनवरी 2012 को जारी किया गया था और प्रतिवादी द्वारा 16 जनवरी 2012 को जवाब दायर किया गया था।तीसरा, यह आग्रह किया गया कि बैंक गारंटी के आह्वान के बाद भी, प्रतिवादी ने अपीलार्थी को 20 सितंबर 2012 को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि

/

/

/

आह्वान के खिलाफ इसकी शिकायत।इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी इस तथ्य के बारे में अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकता है कि बैंक गारंटी का आह्वान किया गया है।अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को 12 सितंबर 2012 को, जिस तारीख को बैंक गारंटी लागू की गई थी, लाख रुपये की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवादी को एक और निर्देश जारी करने के लिए विवश किया गया था।जहाँ तक निर्देश के इस भाग का संबंध है, यह आग्रह किया गया था कि न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती को नहीं दबाया गया था।इन मामलों पर, यह आग्रह किया गया कि न्यायाधिकरण बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करने में गलती कर रहा था।

/

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री साजन पूवय्या ने कहा कि सबसे पहले, बैंक गारंटी की अवधि इंगित करती है कि वे बिना शर्त नहीं थीं।यह आग्रह किया गया कि कार्यबल समिति की 26 अगस्त 2011 की सिफारिश के भाग ए, बी और सी में प्रत्यर्थी पर लगाए गए विशिष्ट दायित्वों का सुरक्षित अनुपालन करने के लिए बैंक गारंटी दी गई थी।वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक से की गई मांग बैंक गारंटी में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार नहीं थी।दूसरा, यह आग्रह किया गया कि प्रत्यर्थी ने कार्यबल समिति की सिफारिशों का पालन किया है और इस स्तर पर भी, यह उचित होगा यदि न्यायाधिकरण को अनुपालन को सत्यापित करने के लिए कहा जाए।तीसरा, यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष पहली बार आह्वान पत्र सामने आया है और इसे न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है।इन आधारों पर, यह आग्रह किया गया था कि बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करने वाले न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

/

/

16. सबसे पहले, हमें बैंक गारंटी के आह्वान अपास्त करते हुए में न्यायाधिकरण के निर्णय के मौलिक आधार पर विचार करना चाहिए।न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि बैंक गारंटी का उद्देश्य वाणिज्यिक या औद्योगिक नहीं था, बल्कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना था।इसलिए, न्यायाधिकरण के विचार में, अपीलार्थी को बैंक गारंटी लागू करने से पहले प्रतिवादी को सुनवाई प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

/

/

17. हम न्यायाधिकरण द्वारा तैयार की गई कानूनी स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।एक बैंक गारंटी जारीकर्ता बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध का गठन करती है।

/

865

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम.

सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (आई) लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

जिसकी गारंटी जारी की जाती है।ऐसा अनुबंध लाभार्थी और तीसरे पक्ष के बीच अंतर्निहित अनुबंध से स्वतंत्र है जिसके कहने पर बैंक गारंटी जारी की जाती है।

18. जिस सिद्धांत को हमने अपनाया है वह एक सुसंगतता के साथ सहमत है

इस न्यायालय की पूर्ववर्ती रेखा।अंसल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में, 2 तीन न्यायाधीशों की पीठ

/

इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:"4. यह तय विधि है कि बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र और विशिष्ट अनुबंध है और अंतर्निहित लेनदेन और उस व्यक्ति के बीच प्राथमिक अनुबंध की वैधता के लिए योग्य नहीं है जिसके कहने पर बैंक गारंटी दी गई थी और लाभार्थी।जब तक धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी मौजूद नहीं है, अनुरोध नहीं किया जाता है और एक परीक्षण योग्य मुद्दे के रूप में मजबूत साक्ष्य द्वारा प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक लाभार्थी को बैंक गारंटी को भुनाने से नहीं रोका जा सकता है, भले ही लाभार्थी और उस व्यक्ति के बीच विवाद हो जिसके कहने पर बैंक द्वारा बैंक गारंटी दी गई थी, अनुबंध के प्रदर्शन या उसे आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों के निष्पादन में उत्पन्न हुआ था।बैंक ने बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बैंक गारंटी के संदर्भ में किसी भी आपत्ति या विवाद के बिना गारंटी में की गई देयता की राशि का भुगतान करने का वादा किया।

/

/

/

5. ...न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक गारंटी/ऋण पत्रों के प्रवर्तन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, सिवाय उन मामलों के जहां धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी को मजबूत साक्ष्य द्वारा मामले में प्रथम दृष्टया परीक्षण योग्य मुद्दे के रूप में बनाया जाता है ताकि पक्षों के साथ अपरिवर्तनीय अन्याय को रोका जा सके। "

/

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मुला में भी इसी सिद्धांत का पालन किया गया था।

सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड **3** जहाँ इसकी दो न्यायाधीशों की पीठ है।

न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:"33. यह किसी भी गुंजाइश से परे है कि बैंक गारंटी को अपनी शर्तों पर माना जाना चाहिए।इसे एक अलग लेनदेन माना जाता है।

/

34. यदि श्री नाफडे द्वारा सुझाए गए किसी निर्माण को स्वीकार किया जाना है, तो यह एक बैंकर के लिए भी मामला रखने के लिए खुला होगा।

2 (1996) 5 एससीसी 450 3 (2006) 6 एससीसी 293

/

कि पूर्ण और असंदिग्ध बैंक गारंटी को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक सशर्त गारंटी के रूप में देखा जाना चाहिए।यह, हमारे विचार से, विधि में अस्वीकार्य है। "

बैंक गारंटी एक स्वतंत्र अनुबंध है।में

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनामबिहार राज्य **4,** दो न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने वह शर्त तैयार की जिस पर बैंक गारंटी का आह्वान निम्नलिखित शर्तों में निर्भर करता है:

/

"9. इसलिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि बैंक गारंटी स्पष्ट शब्दों में, बिना किसी शर्त के होनी चाहिए और यह कहा जाना चाहिए कि राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति या आपत्ति के किया जाएगा और बैंक गारंटी के अंतर्गत लाभार्थी या उस व्यक्ति के बीच किसी भी विवाद के बावजूद जो हो सकता है या लंबित हो सकता है जिसकी ओर से गारंटी दी गई थी।की शर्तें

/

इसलिए, बैंक गारंटी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।तब से

बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र अनुबंध का प्रतिनिधित्व करती है, दोनों पक्ष इसके लिए बाध्य होंगे

/

उसकी शर्तें।इसलिए, आह्वान को बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार होना होगा, अन्यथा, आह्वान ही खराब होगा। "

(जोर दिया गया) 19.इस न्यायालय के उदाहरणों से जो तय कानूनी स्थिति सामने आई है, वह यह है कि धोखाधड़ी, अपरिवर्तनीय अन्याय और विशेष इक्विटी के मामले के अभाव में, न्यायालय को बैंक गारंटी के आह्वान या भुनाने में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि आह्वान बैंक गारंटी के संदर्भ में था।

/

20. वर्तमान मामले में, बैंक ने अपीलार्थी को वचन दिया कि वह मांग पर गारंटीकृत राशि का भुगतान करेगा, जो तीन बैंक गारंटी में से प्रत्येक में निर्धारित कुल राशि के अधीन होगी।यह निर्धारित करना बैंक के लिए नहीं था कि क्या बैंक गारंटी का आह्वान तब तक उचित था जब तक कि आह्वान बैंक गारंटी के संदर्भ में था।एक बार की गई मांग बैंक को बैंक गारंटी की शर्तों के अंतर्गत भुगतान करने के लिए बाध्य करेगी।भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कानूनी दायित्वों को सही ढंग से समझा और अपीलार्थी को राशि का भुगतान किया।मामले के इस दृष्टिकोण में और बैंक गारंटी की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विधि का सिद्धांत जो द्वारा तैयार किया गया है

/

/

4 (1999) 8 एससीसी 436 ए

/

867

आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम.

सी. सी. एल. प्रोडक्ट्स (आई) लिमिटेड. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

न्यायाधिकरण को सही कानूनी स्थिति को दर्शाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 21. इसके अलावा, हम न्यायाधिकरण के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रतिवादी को आह्वान पर अंधेरे में रखा गया था।यह स्पष्ट है कि बैंक गारंटी के आह्वान के बाद, प्रतिवादी ने स्वयं 20 सितंबर 2012 को अपीलार्थी के सदस्य सचिव को एक संचार संबोधित किया।संचार में बैंक गारंटी के आह्वान का एक विशिष्ट संदर्भ है।इसके अलावा, अभिलेख की सामग्री से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिस पर प्रत्यर्थी ने एक जवाब भी प्रस्तुत किया था।बैंक गारंटी का उद्देश्य और उद्देश्य अपीलार्थी को विधि के अनुसार निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना था।अपीलार्थी ने 26 अगस्त 2011 को कार्यबल समिति द्वारा उस पर लगाए गए

दायित्वों का निर्वहन करने में प्रतिवादी की विफलता के कारण प्रत्यर्थी द्वारा जारी बैंक गारंटी को लागू किया है।

/

/

22. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण ने बैंक गारंटी के आह्वान में हस्तक्षेप करने और अपीलार्थी को तीन गारंटी द्वारा कवर की गई 25 लाख रुपये की राशि वापस करने का निर्देश देने में गलती की है।बैंक गारंटी का आह्वान करते समय, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर जोर दिया है कि कार्यबल समिति की बैठक में अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई थी और अपीलार्थी के अधिकारियों ने उद्योग का निरीक्षण किया था और कुछ उल्लंघनों को देखा था।इसलिए बैंक गारंटी का आह्वान बैंक गारंटी में निर्धारित शर्तों के संदर्भ में था।

/

/

23. बैंक गारंटी का आह्वान वर्तमान अपील का विषय था।हम अपील की अनुमति देते हैं और न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।24. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

अंकित ज्ञान

अपील अनुज्ञात ।

/

/